

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०)ग्रा०-17/2012 (Part_6/12)/राँची, दिनांक

आदेश

उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक- 573N दिनांक- 21.08.2012 द्वारा श्री नन्द नन्दन मंडल, (ID - J7903) तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में निम्नलिखित आरोप अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया -

“ आपके द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा द्वारा मनरेगा योजना के आकस्मिकता निधि से दिनांक- 17.11.2008 को चेक सं०-079214 से 10,00,000.00 रु० एवं दिनांक- 04.02.2009 को चेक सं०- 251443 से 25,00,000.00 रु० यानि कुल 35,00,000.00 लाख रु० उपलब्ध कराये गये राशि से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक- 28012/03/05-06 कृषि भवन, नई दिल्ली दिनांक- 30.03.2007 से निर्गत निदेश, जिसमें प्रशासनिक मद में गैंता, कुदाल, धामा, तगाड आदि क्रय करने का प्रावधान नहीं था, का उल्लंघन करते हुए तथ बिहार वित्तीय नियमावली झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत के नियम- 235 एवं 241 का भी उल्लंघन कर बिना निविदा आमंत्रित किये ही महज कागज में ही ऐसे दुकानों से कुदाल, गैंता आदि क्रय करने का फर्जी अभिश्रव प्राप्त कर उन अभिश्रवों के आधार पर कुल 9,93,740.00 रु० पारित करते हुए बिना सामग्री का भंडार पंजी में दर्ज कराये तथा भंडार में प्राप्त किये ही भुगतान दिखाकर गबन कर लिया गया।”

2. उक्त आरोप की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1141 दिनांक- 03.06.2014 द्वारा श्री नन्द नन्दन मंडल के विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. विभागीय कार्यवाही में नियुक्त संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 37 दिनांक- 28.01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। इस प्रतिवेदन में श्री नन्द नन्दन मंडल को, इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप में उल्लेखित नियमों के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ विभागीय पत्रांक- 2378 दिनांक- 15.05.2015 द्वारा श्री नन्द नन्दन मंडल से द्वितीय कारण पृच्छा की गई -

(i) निन्दन

(ii) तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

5. श्री नन्द नन्दन मंडल द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में श्री मंडल द्वारा उल्लेखित किया गया कि जाँच पदाधिकारी ने उनके विरुद्ध मात्र यह आरोप प्रमाणित पाया कि आकस्मिकता मद की राशि से उपकरण सामग्रियों की खरीदारी नहीं की जानी चाहिए थी तथा Non Schedule Item की खरीदारी के संबंध में वरीय पदाधिकारियों से दिशा निदेश लेना चाहिए था। जाँच पदाधिकारी द्वारा इसे प्रक्रियात्मक भूल बताया गया है।

P.T.O

6. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि नेशनल लेवल मोनिटर के पत्र के अनुसार कृषि उपकरण मजदूरों को निःशुल्क उपलब्ध कराना है तथा इसका खर्च मैटेरियल हेड से करना है। तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ने जो राशि आरोपी पदाधिकारी को दिया वह राशि आकस्मिकता मद की राशि थी तथा इस राशि से कृषि उपकरण की खरीदगी करने का कोई प्रावधान नहीं था। यद्यपि आरोपी पदाधिकारी द्वारा राशि कार्यवाही शुरू होने पर जमा कर दी गई है लेकिन फिर भी अस्थायी गबन का मामला इन पर बनता है। राशि वर्ष 2009 में दी गई थी एवं वर्ष 2011 में जमा की गई तथा इस पर सूद की राशि भी बनती है।

7. अतएव श्री नन्द नन्दन मंडल द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोप के लिए श्री मंडल को निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया जाता है -

(i) निन्दन

(ii) तीन वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

8. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, गोड्डा/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा/श्री नन्द नन्दन मंडल, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 728राँची/दिनांक 04/02/19

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव